कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री कृष्ण अवतार सैनी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैरोटा, सिकराय जिला दौसा का स्थानान्तरण राउमावि सरमथुरा जिला धौलपुर किया गया था जिसके विरूद्ध कृष्ण अवतार सैनी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 648/2021 कृष्ण अवतार सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 648/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा अपीलार्थी कृष्ण अवतार सैनी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने माता–पिता के अस्वस्थ होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि तालचिडी, महवा जिला दौसा/राउमावि रायपुर, महवा जिला दौसा/राउमावि पाखर, महवा जिला दौसा/राउमावि कुंडला, राजगढ जिला अलवर/राउमावि राजोरगढ, थानागाजी जिला अलवर/राउमावि सिली बावडी, थानागाजी जिला अलवर/राउमावि हमीरपुर, थानागाजी जिला अलवर/राउमावि अगर, थानागाजी जिला अलवर अथवा राउमावि आंगरी, थानागाजी जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन चाहा गया है, उनमें पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी को समीपवर्ती धौलपुर जिले में ही पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री कृष्ण अवतार सैनी, प्रधानाचार्य द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/कृष्ण अवतार/अपील/648/2021/215 दिनांकः 10.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/धौलपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा/धौलपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री कृष्ण अवतार सैनी, प्रधानाचार्य राउमावि सरमथुरा जिला धौलपुर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)